कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/11/2023

श्री देवीसिंह पुत्र स्व0 श्री हरदेव वार्ड न.7 फिरोजपुर झिरका जिला नुह (मेवात) हरियाणा

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार डीग जिला भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.3.2023**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री देवीसिंह पुत्र स्व0 श्री हरदेव वार्ड न.7 फिरोजपुर झिरका जिला नुह (मेवात) हरियाणा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 16.12.2022 के द्वारा तहसीलदार डीग से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार डीग द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 215 दिनांक 1.3.2023 द्वारा तहसीलदार डीग से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार डीग का जबाब पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/222 दिनांक 14.3.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का अपील में कथन है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र के तहत चाही गई सूचाऐं के बाबत गोलमोल कर आधी अधुरी जानकारी दी है, मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी दिए गये फॉमेट बिन्दुवार दिये जाने की प्रार्थना की गई। तहसीलदार डीग के जबाब पत्र पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/222 दिनांक 14.3.2023 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार डीग ने अपने जबाव में बताया है कि अपीलान्ट को सूचनायें जरिये पत्र क्रमांक/आरटीआई/2023/45 दिनांक 16.1.23 से भिजवाई जा चुकी हैं। प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत चाही गई सूचना का आवेदन दिनांक 16.12.2022 पर गौर किया गया। प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में दो बिन्दुओं पर सूचना चाही गई हैं, जिसमें चाही गई सूचना जमीन से सम्बन्धित खसरा नम्बर वगे अंकित नहीं किये गये हैं बिन्दू संख्या 2 प्रश्नात्मक है। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्रादेश क्रमांक प.3(22) प्र. सु/सूअप्र/06 दिनांक 2-2-2009 के पेरा-3 में स्पष्ट है :-

".........नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील / आरटीआई / 11 / 2023
देवी सिंह बनाम तहसीलदार डीग

अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण,नोट, उद्वरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है........।''

अतः आप से अपेक्षा की जाति है कि आप तहसीलदार डीग द्वारा प्रेषित पत्र क्रमाक / आरटीआई / 2023 / 45 दिनांक 16.1.2023 के परिप्रेक्ष्य में आप चाही गई सूचना के सम्बध में तहसीलदार डीग कार्यालय में कार्य दिवस में अन्दर 15 दिवस उपस्थित होकर सूचना चिन्हित करें तथा नियमानुसार शुल्क जमा करा कर सूचना प्राप्त करें। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार डीग से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सहित) भिजवायें। निर्णय की प्रति तहसीलदार डीग को सूचनार्थ प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर
भरतपुर